सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-409 राँची, मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 जुलाई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-10/2017-14079 (HRMS)--श्री रविन्द्र चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-819/03, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गुमला के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-(N)3276, दिनांक-26.12.2016 के माध्यम से उप विकास आयुक्त- सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1194(ii)/म0को0, दिनांक-26.11.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री चौधरी के विरूद्ध मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने एवं सरकारी राशि के गबन/दुरूपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2052, दिनांक 08.03.2017 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री चौधरी के पत्रांक-57/परि0, दिनांक 30.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री चौधरी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1397, दिनांक 21.02.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गुमला के

पत्रांक-1004(ii)/म0को0, दिनांक 07.09.2018 द्वारा श्री चौधरी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त द्वारा इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-729, दिनांक 25.01.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-106, दिनांक 29.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोप सही नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर से स्वंयसेवी संस्थाओं को निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक-212(i), ज्ञापांक-216(i) तथा ज्ञापांक-217(i)/ अभिकरण, दिनांक 14.06.2007 की प्रति आरोपी को प्राप्त कराने संबंधी प्राप्ति रसीद अथवा कोई अन्य साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी प्रस्तुत नहीं कर सके। समीक्षोपरांत, विभागीय पत्रांक-5383, दिनांक 09.07.2019 द्वारा उपायुक्त, गुमला से जिला स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक-212(i), ज्ञापांक-216(i) तथा ज्ञापांक-217(i)/अभिकरण, दिनांक 14.06.2007 की प्रति आरोपी को प्राप्त कराने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-31(ii)/म0को0, दिनांक 03.02.2020 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी को कार्यादेश ज्ञापांक-212(i), ज्ञापांक-216(i) दिनांक 14.06.2007 की प्रति प्रखण्ड कार्यालय, डुमरी में उपलब्ध कराने का साक्ष्य प्रेषित किया गया। संलग्न प्राप्ति रसीद की छायाप्रति से स्पष्ट है कि कार्यादेश ज्ञापांक-212(i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी के कार्यालय में दिनांक 18.06.2007 तथा कार्यादेश ज्ञापांक-216(i) दिनांक 14.06.2007 की प्रति प्रखण्ड कार्यालय, डुमरी में दिनांक 21.06.2007 को उपलब्ध करवायी गयी है। कार्यादेश ज्ञापांक-212(i) एवं 216(i)दिनांक 14.06.2007 में अन्य कर्मियों के अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समय-समय पर योजनाओं के निरीक्षण का निदेश दिया गया है ।

श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि उपायुक्त, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इनका संचालन पदाधिकारी के समक्ष यह कथन की इनको जिला स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्गत कार्यादेश की प्रति उपलब्ध नहीं करवाया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है ।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री चौधरी को जिला स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञापांक-212(i) एवं 216(i) दिनांक 14.06.2007 में योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी दिये गये निदेश की अवहेलना करने के आरोप में उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-564, दिनांक 27.01.2021 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री चौधरी के पत्रांक-105/भू०सु०, दिनांक 17.02.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जो निम्नवत् है-

(i) विभागीय कार्यवाही के दौरान इन्होंने मौखिक एवं लिखित दोनों तरह से आग्रह किया कि डुमरी प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत् कार्यान्वित वृक्षारोपण योजना से संबंधित योजनाओं का संचालन जिला स्तर से निष्पादित होती थी। जहाँ तक इनका प्रश्न है तो ये प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित मनरेगा योजना का प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी ही थे। प्रखण्ड पदाधिकारी होने के नाते मस्टर रॉल निर्गत करना एवं MIS Entry करने की जिम्मेवारी दी गई थी। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा न तो कभी MIS Entry हेतु अनुरोध किया गया और न ही कभी MIS Entry के लिए कागजात समर्पित की गई। जहाँ तक योजनाओं की पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का प्रश्न है, उसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला जिला से प्रतिनियुक्त वरीय प्रखण्ड प्रभारी की भी जिम्मेवारी बनती थी कि वह समय-समय पर निरीक्षण हेतु इनको आदेश/निदेश निर्गत करते लेकिन उन्होंने सभी चीजों का अवहेलना किया एवं तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा मनमाने ढंग से कार्यकारी एजेंसी को राशि भुगतान कर दी गई ।

(ii) जहाँ तक उप विकास आयुक्त, गुमला का आदेश से संबंधित प्रश्न है, वह सच्चाई से परे है कि योजना से संबंधित सारे निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी को उपलब्ध करा दिया गया है। इस बात को इन्होंने जोरदार रूप से खंडन विभागीय कार्यवाही के समय संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा कि इन्हें निर्देश की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थापन पदाधिकारी, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पदाधिकारी, जिला गुमला को निदेश दिया कि आरोपित पदाधिकारी के खिलाफ जो निदेश उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी प्रति उपलब्ध कराई जा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि- (i) श्री चौधरी द्वारा अपने उत्तर में पूर्व में अपने बचाव बयान में दिये गये तथ्यों को दोहराया गया है तथा इसमें कोई नई बात/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दुओं के संबंध में प्रासंगिक हो ।

(ii) इस संबंध में विभागीय पत्रांक-5383, दिनांक 09.07.2019 द्वारा एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, गुमला से जिला स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक-212(i), ज्ञापांक-216(i)तथा ज्ञापांक-217(i)/अभिकरण, दिनांक 14.06.2007 की प्रति आरोपी को प्राप्त कराने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-31(ii)/म0को0, दिनांक 03.02.2020 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी को कार्यादेश ज्ञापांक-212(i), ज्ञापांक-216(i) दिनांक 14.06.2007 की प्रति प्रखण्ड कार्यालय, डुमरी में उपलब्ध कराने का साक्ष्य प्रेषित किया गया। संलग्न प्राप्ति रसीद की छायाप्रति से स्पष्ट है कि कार्यादेश ज्ञापांक-212(i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी के कार्यालय में दिनांक 18.06.2007 तथा कार्यादेश ज्ञापांक-216(i) दिनांक 14.06.2007 की प्रति प्रखण्ड कार्यालय, डुमरी में दिनांक 21.06.2007 को उपलब्ध करवायी गयी है। कार्यादेश ज्ञापांक-212(i) एवं 216(i)दिनांक 14.06.2007 में अन्य कर्मियों के अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समय-समय पर योजनाओं के निरीक्षण का निदेश दिया गया है ।

समीक्षोपरांत, स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी का कथन कि उन्हें जिला स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्गत कार्यादेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है, अतः श्री रविन्द्र चौधरी, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गुमला द्वारा समर्पित

द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RABINDRA CHOWDHARY BHR/BAS/3808	श्री रविन्द्र चौधरी, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गुमला द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र चौधरी, झा०प्र०से०एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 409 -- 50